ISBN: 978-81-974088-0-9

1. भारत में विकलांग लोगों की स्थिति

डॉ. राजेश मौर्य

सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र,
शासकीय नेहरू महाविद्यालय,
सबलगढ़ जिला मुरैना.

प्रस्तावना:

यदि हम समाज में, जीवन यापन करने वाले लोगों को विभिन्न वर्गों में विभाजित करें तो, हमें मजदूर या श्रमिक वर्ग से लेकर, शिक्षित, अशिक्षित कृषक, बुद्धिजीवी, दार्शनिक, प्रशासनिक व राजनेता आदि देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इन सबसे अलग, एक और वर्ग भी है, जिसे हम विकलांग या दिव्यांग लोगों के, वर्ग के नाम से, जानते हैं।

जो अपनी विभिन्न शारीरिक अक्षमताओं की समस्याओं से जूझ रहे हैं। यही नहीं बल्कि, समाज के अन्य वर्गों से भी, पीड़ित या शोषित हैं या घ्रणा की भावना से देखा जाता है। कई तरह की व्यंग्यात्मक टीका टिप्पणियां की जाती है और समाज में, हंशिए पर होने के कारण विभिन्न प्रकार के सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों से वंचित हैं। इसीलिए विकलांग या दिव्यांग लोगों को अध्ययन करना अति-आवश्यक हो जाता है।

सामान्य शब्दों में विकलांग या दिव्यांग, उन लोगों को कहा जाता है, जो अपनी शारीरिक अक्षमताओं के कारण शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक रूप से अन्य लोगों से बातचीत या संपर्क स्थापित करने में बाधा महसूस करता है। **एक वेबसाइट के अनुसार-**विकलांगता, एक प्रकार से शरीर या मन की कोई भी, ऐसी स्थिति होती है, जिसमें व्यक्ति शारीरिक गतिविधियों तथा आसपास की दुनिया से बातचीत या संपर्क स्थापित करने में अक्षम होता है।(1) विकलांगता का कोई एक बीमारी या समस्या नहीं है, बल्कि बीमारियों का एक समूह है। जैसे:-अंधापन, श्रवण, बाधित, बहरापन चलने, फिरने में अक्षमता, कम दृष्टिक, क्षमता, मानसिक बीमारी तथा अन्य आदि।

हालाकि भारत में विकलांग लोगों के संबंध में, आजादी प्राप्त करने के बाद, पहली भारतीय जनगणना, जोकि 1872 में, शुरू हुई थी।(2) से ही भारत सरकार ने ध्यान देना आरंभ कर दिया था। लेकिन फिर भी, हमारे देश में सन 1991 तक उन्हें (विकलांगों) एक दुर्बलता के रूप में संदर्भित किया जाता था। इसके बाद भारत सरकार के नमूना सर्वेक्षण विभाग ने भी, सन 1959 से 1960 के दौरान 15 वे दौर में विकलांग व्यक्तियों पर, आंकड़े संकलित किए थे, परंतु उन आंकड़ों में आवश्यक विवरण का अभाव पाया गया था।

भारत सरकार के, इन सब प्रयासों के बावजूद विकलांग लोगों की, सामाजिक आर्थिक, शैक्षिक व राजनीतिक स्थिति निम्न बनी हुई है। ना ही उन्हें समान अवसर दिए जाते हैं और ना ही पर्याप्त मौलिक अधिकार, जैसा कि **एस.पी.विस्पुत (2021) ने अपने पेपर में उल्लेख किया है कि-**भारत सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को, ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2016 में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम पारित किया था और उनके (विकलांगों) अधिकार की गारंटी प्रदान की थी। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि, उनके अधिकार अभी भी सुरक्षित नहीं है।(3) ऐसी परिस्थितियों विकलांग लोगों के लिए शोध करने पर मजबूर करती हैं क्योंकि यह भी, (विकलांग लोगों) भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है। जिस प्रकार अन्य लोगों को अधिकार प्राप्त है, ठीक उसी प्रकार दिव्यांगों को भी मिलना चाहिए।

यह शोध पत्र, विशेष रूप से, भारत में विकलांग लोगों की स्थिति पर आधारित है। जिसमें हम विकलांगों की परिभाषा, उनकी (विकलांगों) की संख्या को, समझते हुए, यह जानने व समझने का प्रयास करेंगे कि, विकलांग लोग, किस प्रकार अपनी दैनिक स्थिति में है, उनके सामने कौन-कौन सी समस्याएं हैं?

अध्ययन के उपदेश:

मैंने इस शोध पत्र को पूर्ण करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों का निर्धारण किया है।

- विकलांग किन्हे कहा जाता है?, उसकी परिभाषा को, समझना।
- भारत में विकलांग लोगों की, संख्या कितनी है?, को समझना।

- भारत में विकलांग लोगों के सामने कौन-कौन सी समस्याएं हैं?, को समझना।

अध्ययन की सामग्री

भारत में पहली जनगणना के साथ ही विकलांग लोगों की संख्या कितनी है, का विश्लेषण किया गया था। उसके बाद नमूना सर्वेक्षण विभाग, आर्थिक और सामाजिक परिषद का संकल्प 1921 तथा वर्ष 2016 के दिव्यांग, मौलिक अधिकार अधिनियम आदि के द्वारा मूल्यांकन किया गया था। इसीलिए साहित्य का एक बड़ा हिस्सा भारत सरकार के दस्तावेजों में अंकित है। इसके अलावा विभिन्न समाचार पत्रों, पत्र-पत्रिकाओं, विभिन्न पुस्तकों, शोध जर्नल एवं इंटरनेट पर उपलब्ध विभिन्न वेबसाइटों से सामग्री प्राप्त की है।

विकलांगता की अवधारणा

जब हम विकलांगता की अवधारणा को वैश्विक स्तर पर देखते हैं तो, यह पता चलता है कि विकलांगता को परिभाषित करने की अवधारणा, एक समान नहीं है। यहां तक की, भिन्न-भिन्न देश में अलग-अलग रूप से परिभाषित किया गया है। हालांकि विकलांग लोगों के अधिकारों पर संचालित संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन में विकलांगता मॉडल को अपनाया है, लेकिन इसका कहना है कि विकलांगता की, कोई भी स्पष्ट परिभाषा नहीं है। **संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार-**विकलांगता एक विकासशील अवधारणा है, जोकि विकलांग व्यक्तियों, मनोवृतियों तथा पर्यावरणीय बाधाओ के बीच अंतर-क्रिया से उत्पन्न होती है, जो समाज में दूसरों के साथ एक समान आधार पर उनकी पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी में बाधा डालती है।(4) जिसमें वह लोग या व्यक्ति शामिल हैं, जो दीर्घकालीन शारीरिक, बौद्धिक व मानसिक या संवेदन विकलांगता से पीड़ित हैं, और कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जबकि एक और अन्य परिभाषा, **जोकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रस्तुत की है कि-** विकलांगता शब्द को, एक व्यक्ति के शरीर, मन की स्थिति के रूप में परिभाषित किया है और कहा है कि, व्यक्तियों के लिए विकलांगता अपने आस-पास के वातावरण से लेकर दुनिया के साथ, बातचीत करने में, कठिन बना देती है।(5) वास्तव में देखा जाए तो, विकलांगता मानव के लिए, एक दैनिक है या निम्न स्थिति के रूप में देखती है और बताता है कि, यह किस प्रकार लगभग सभी कार्यों की, दृष्टि से,

मानव को अक्षम बना देती है। ऐसी अवस्था में वे (विकलांग) लोग समाज के बहिष्कार का कारण बनते हैं। यहां तक कि उन्हें विकलांगों लोगों की गंदी टिका-टिप्पणियों का भी सामना करना पड़ता है।

भारत के संदर्भ में विकलांगता की अवधारणा का प्रतिपादन, एक आंदोलन के रूप में, सन 1970 के दशक में उभर कर आया था। ऐसा अनुमान है कि हमारे देश में स्थापित समाज के लोगों द्वारा, समय-समय वहींष्कृत करके **विकलांगता से संबंधित परिवारों को गंभीर रूप से अपमान करके, तिरुस्कर्त किया जाता था।(6)** हालाकि इस आंदोलन के माध्यम से समाज में, जीवन यापन करने वाले लोगों के सामने विकलांगता की अवधारणा सामने आई थी, लेकिन उनके पास (विकलांग) बाबा आमटे जैसे समाज सुधारक, के अलावा और कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था। आपको बतादे कि **बाबा आमटे, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने कुष्ठ रोग से पीड़ित परिवारों के पुनर्वास का काम किया था।(7)** उनके अलावा और कोई भी समाज सुधारक नहीं था। यहां तक की, भारत सरकार ने भी कोई भी कदम नहीं उठाया था। जब संपूर्ण विश्व में विकलांग लोगों के अधिकारों के बारे में आवाज उठाना शुरू हुई थी। तब **भारत सरकार ने, वर्ष 1995 में विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर व अधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में, पूर्ण भागीदारी (विकलांग लोगों के लिए) एवं संरक्षण अधिनियम पारित किया था।(8,9)** इस अधिनियम 1995 की, धारा 2 के अनुसार विकलांगता की परिभाषा को, इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि-**भारत में विकलांगता का अर्थ कम दृष्टि, दृष्टि बाधित, अंधापन, श्रवण, दोष, कुष्ठ रोग, ठीक हो जाना, चलने, फिरने में अक्षमता, मानसिक बीमारी, मानसिक मंदता आदि।(10)** इसके अलावा हमारे देश में विकलांग लोगों के लिए समान अवसर एवं अधिकारों हेतु विभिन्न कानुनों का अधिनियम जैसे:- भारतीय पुनर्वास अधिनियम 1992, ऑप्टिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण हेतु, राष्ट्रीय ट्रस्ट, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदाता तथा बहु-विकलांगता, अधिनियम 1999 इत्यादि अस्तित्व में आए थे। इन सब के बावजूद हमारे देश में विकलांगता की, स्थिति में कोई भी परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं हुआ था। अर्थात उन लोगों को (विकलांगों के लिए) सरकार की तरफ से, जो भी योजनाएं सर्वसम्मति से लागू होती थी, विकलांग लोगों तक पहुंच के बाहर थी। उन्हें फिर भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तब भारत में विकलांग लोगों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए, एक नया दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 पारित किया था

जिसमें विकलांगताओं की संख्या, जोकि पूर्व में 7 थी, बढाकर 21 कर दी गई थी।(11) जिसमें शामिल है, कुष्ठ रोग से ठीक हुए लोग, श्रवण, चलने, फिरने में अक्षमता, बौद्धिक क्षमता, मानसिक बीमारी, ऑप्टिमस, स्पेक्ट्रम विकास, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, विशिष्ट सीखने की क्षमताएं, भाषण और भाषा विकलांगता, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, एसिड अटैक, पीड़ित, मल्टीप्ल स्कॉलर प्रक्रिया, क्रॉनिक, न्यूरोलॉजिकल, स्किल सेल रोड, अंधापन (दृष्टि) तथा बहरापन सहित अनेक विकलांगतय आदि, इस प्रकार भारत सरकार के नए अधिनियम दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में विकलांगता को इस प्रकार परिभाषित किया था कि-**ऐसे व्यक्ति, जो दीर्घकाल से, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व संवेदी विकलांगताओं से पीड़ित हैं, जो अनेक बाधाये के साथ, न केवल बातचीत करने में अक्षम है, बल्कि समाज में पूर्ण, प्रभावी भागीदारी अदा करने में भी अक्षम है।(12)** इसके साथ-साथ वर्तमान में विकलांगताओं की स्थिति को, ध्यान में रखते हुए भारतीय चिकित्सा प्रणाली ने भी, इसे (विकलांग) परिभाषित किया है। **चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित परिभाषा के अनुसार-**एक विकलांग व्यक्ति वह है, जो निर्दिष्ट विकलांगता का कम-से-कम 40% में शामिल है।(13) यहां इसका मतलब है कि, यदि कोई व्यक्ति चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जांच करने पर यह पाया जाता है कि, विभिन्न विकलांग श्रेणियां में से, किसी एक में कम-से-कम 40% विकलांग है, तो वह विकलांगताओं में शामिल किया जाएगा।

इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर, कहा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति के, संदर्भ में, विकलांगता एक ऐसी अवस्था है, जिसमें वह व्यक्ति ना तो समाज के अन्य लोगों के साथ बातचीत कर सकता है और ना ही, वह अपनी पूर्ण व प्रभावी भागीदारी, इसीलिए भारत सरकार को उनके लिए एक समान अधिकार से लेकर, संरक्षण व सुरक्षित करने वाले कानूनों व उपाय का प्रावधान करना चाहिए।

भारत में विकलांग लोगों की संख्या

सामान्य तौर पर देखा जाए तो, भारत ने अपनी आजादी प्राप्त करने के साथ ही, 1872 में की गई पहली जनगणना में विकलांग लोगों से संबंधित, आंकड़ों को, एकत्र करना आरंभ कर दिया था। लेकिन यदि, हम काहे कि, विकलांग लोगों से संबंधित

व्यवस्थित आंकड़े, **राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने, सन 1959 से 1960 के बीच अपने 15 वें दौर में एकत्रित किए थे।(14)** तो, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारतीय जनगणना का यह सिलसिला चलता गया और **वर्ष 1881 से 1931 की, अवधि के बीच भारतीय विकलांग लोगों की संख्या 228 से 369 के बीच हो गई थी। जोकि भारतीय जनगणना का लगभग 0.23% से 0.37% था।(15)** जिसमें सभी विकलांग शामिल थे, जिनका अध्ययन हम विकलांगता की अवधारणा में कर चुके हैं। परंतु यह भाग्य की, बिडबना है कि इन जनगणना में देश के विकलांग लोगों से संबंधित, समस्त जानकारी एवं प्रश्न शामिल नहीं किए गए। उनसे (विकलांग लोगों) संबंधित सभी प्रश्न भारत के महापंजीयन तथा जनगणना आयुक्त ने वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना में शामिल किए गए थे। परंतु जब विश्लेषण किया गया तो, यह ज्ञात हुआ कि, संपूर्ण जानकारी शामिल नहीं की गई थी। विकलांग लोगों की संख्या का मापन या अनुमान लगाते हैं तो, विकलांगता से संबंधित आंकड़ों में काफी अंतर नजर आता है। **भारत की योजना आयोग के अनुसार-देश में कुल आबादी के केवल पांच प्रतिशत लोग ही, विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं से पीड़ित हैं, जबकि विश्व बैंक का कहना है कि, भारत में, 4% से 8% (40 से 80 मिलियन लोग) विकलांगता से पीड़ित हैं।(16)** यह अंतर, इस बात की ओर इशारा करता है कि, हमारे देश में विकलांग लोगों की संख्या पर, पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया था। इसलिए दिव्यांगों की संख्या सटीक नहीं है।

यदि, **हम भारत के संदर्भ में वर्ष 2001 की जनगणना से वर्ष 2011 की जनगणना का, विश्लेषण करें तो, हमें यह पता चलता है कि हमारे देश में विकलांग लोगों का प्रतिशत वर्ष 2001 में 2.13% था, जोकि वर्ष 2011 की जनगणना में यह बढ़कर 2.21% हो गया था।(17)** अकेले वर्ष 2011 की जनगणना में ही, भारत की कुल आबादी में से लगभग 2.68 करोड़ लोग, विकलांग थे, जोकि कुल भारतीय जनसंख्या का 2.51% था।

भारत में, यदि हम विकलांग लोगों की संख्या को, महिला व पुरुष तथा शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में देखें तो, एक बहुत बड़ा अंतर नजर आता है। अर्थात महिलाओं की तुलना में, पुरुष वर्ग और शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में, सर्वाधिक लोग विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं से ग्रसित हैं।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विकलांग लोगों की संख्या

	वर्ष 2011 की कुल जनसंख्या			**वर्ष 2011 की जनसंख्या में विकलांग संख्या**	
कुल जनसंख्या	पुरुष	महिला	कुल विकलांग संख्या	पुरुष	महिला
121.08 करोड़	62.32 करोड़	58.76 करोड़	2.68 करोड़	1.5 करोड़	1.18करोड़

Source: -Disability in India., Office of Chief Commissioner for Person with Disabilities.,https://www.ccdisabilities.nic.in/resources/disability-india#:~:text=the%20infirmities%20inclubed%20insanity%2c%20deaf%2dmutenes%2c%20blindess%20and%20leprosy.andtext=in%20india%20out%20of%20the,2,21%25%20of%20the%20total%20pulation.

उपरोक्त तालिका में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में विकलांग लोगों की संख्या का, अनुमान लगाया गया है। तालिका में दर्ज आंकड़ों से, यह ज्ञात होता है कि, भारत की कुल जनसंख्या (121.08 करोड़) में से महिला व पुरुषों, दोनों को मिलाकर, कुल 2.68 करोड़ लोग विकलांग हैं, जिनमें से पुरुष व महिलाओं की संख्या, क्रमश: 1.5% व 1.18% दर्ज की गई है।

वर्ष 2011 की, जनगणना में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में, जीवन यापन करने वाले विकलांग जनसंख्या क्रमशः 69% तथा 31% है।(18) लेकिन 2018 में भारत के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के विभाग ने, अपने 76 वे दौर के आंकड़े जारी किया तो, यह पाया गया कि, **ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विकलांग लोगों का प्रतिशत क्रमशः 2.3% व 2% पाया गया था।(19)** इन आंकड़ों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों में, विकलांगताओं का प्रतिशत अधिक पाया गया था। वर्ष 2011 की जनगणना में विकलांगताओं से संबंधित जो, आंकड़े एकत्रित किए गए थे, उनमें से 20.3% चलने फिरने में असमर्थ, 18.8% दृष्टि बाधित तथा मानसिक बीमारी से संबंधित, लगभग 5.6% है।(20)

भारत में विभिन्न राज्यों में विकलांग लोगों की संख्या कितनी है, उसे एक तालिका में दर्शाया गया है।

भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों में विकलांग लोगों की संख्या (प्रतिशत में।)

क्र.	राज्य	विकलांग लोगों की संख्या (प्रतिशत में)
1.	उत्तर प्रदेश	15.5%
2.	महाराष्ट्र	11.05%
3.	बिहार	8.69%
4.	आंध्र प्रदेश	8.45%
5.	पश्चिम बंगाल	0.7%
6.	राजस्थान	0.4%
7.	मध्य प्रदेश	0.5%
8.	कर्नाटक	0.7%
9.	उड़ीसा	1.0%
10.	तमिलनाडु	0.9%
11.	गुजरात	0.8%
12.	झारखंड	0.5%
13.	केरल	2.2%
14.	पंजाब	0.9%
15.	छत्तीसगढ़	0.6%
16.	हरियाणा	0.3%
17.	असम	0.7%
18.	जम्मू और कश्मीर	0.6%
19.	लक्षद्वीप	1.8%
20.	मिजोरम	1.7%

क्र.	राज्य	विकलांग लोगों की संख्या (प्रतिशत में)
21.	गोवा	1.3%
22.	चंडीगढ़	2.1%
23.	नगर हवेली	1.2%
24.	दिल्ली	0.7%
25.	मणिपुर	0.8%
26.	अरुणाचल प्रदेश	0.6%
27.	सिक्किम	0.6%
28.	त्रिपुरा	0.5%

Source: -Census-2011.

उपरोक्त तालिका में, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार-भारत के विभिन्न राज्यों में विकलांग लोगों की संख्या को, प्रतिशत में दर्शाया गया है। तालिका में दर्ज आंकड़ों से, यह ज्ञात होता है कि, विकलांग लोगों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश (15.5%) में है, जबकि सबसे कम आबादी का प्रतिशत, हरियाणा (0.3%) में है। उत्तर प्रदेश के बाद, यदि कहीं अधिक संख्या है तो, वह महाराष्ट्र में है। (11.05%) अर्थात दूसरे स्थान, तीसरे तथा चौथे स्थान पर क्रमशः बिहार (8.69%) आंध्र प्रदेश (8.45%) का नाम आता है। इससे, हमें यह ज्ञात होता है कि विकलांग लोगों की सर्वाधिक संख्या, उत्तर प्रदेश राज्य में है, जोकि एक बीमारू राज्य है। अर्थात गरीब एवं पिछड़ा हुआ राज्य, ऐसी परिस्थितियों में विकलांग लोगों की स्थिति में, सुधार होना संभव नहीं है। **भारत में वर्ष 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान विकलांग लोगों में दशकीय परिवर्तन लगभग 22.4% रहा है। जबकि कुल जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन का प्रतिशत 17.7 रहा है।(21)** यह (विकलांग) लोगों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसका कारण चिकित्सक एवं वैज्ञानिक खान-पान का स्तर, मिलावटी भोजन तथा पर्यावरण बताते हैं। मेरे विचार से यह मानव के क्रियाकलापों का परिणाम है, जो खानपान की चीजे या वस्तुओं में अधिक लालच (आर्थिक) के कारण मिलावट करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्थित सर्वाधिक विकलांग लोगों वाले, राज्यों में संख्या इस प्रकार है।

भारत के 10 सर्वाधिक विकलांग वाले लोगों की संख्या (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार)।

क्र.	राज्य	कुल संख्या प्रतिशत में	ग्रामीण प्रतिशत में	शहरी प्रतिशत में
1.	उत्तर प्रदेश	15.5%	16.99%	12.12%
2.	महाराष्ट्र	11.05%	8.94%	15.86%
3.	बिहार	8.69%	10.98%	3.48%
4.	आंध्र प्रदेश	8.45%	8.12%	9.21%
5.	पश्चिम बंगाल	7.52%	7.35%	7.93%
6.	राजस्थान	5.83%	6.54%	4.21%
7.	मध्य प्रदेश	5.79%	5.93%	5.46%
8.	कर्नाटक	4.94%	4.25%	6.5%
9.	उड़ीसा	4.64%	5.73%	2.16%
10.	तमिलनाडु	4.4%	3.34%	6.83%

Source: Census-2011.

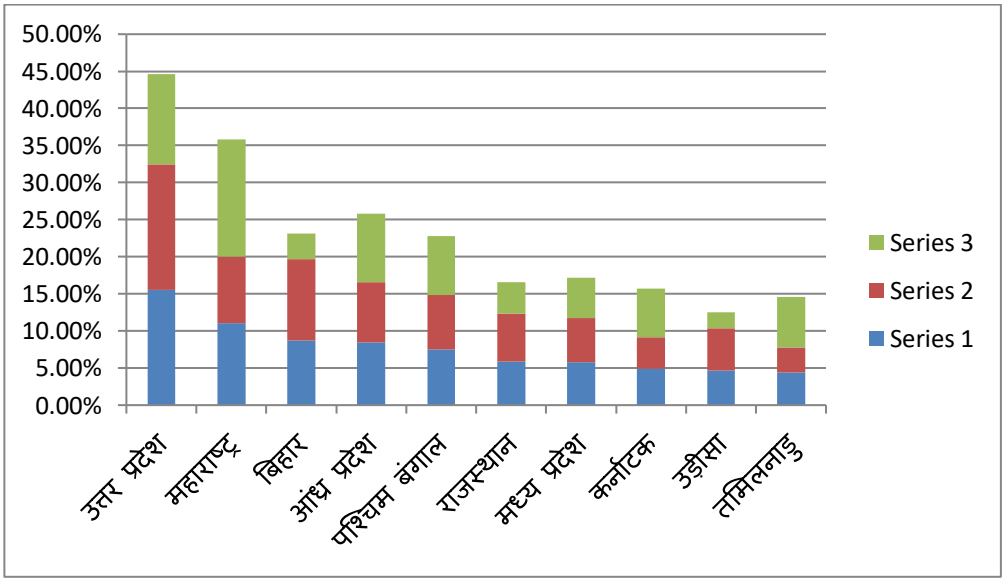

भारत के कुछ राज्य ऐसे भी हैं, जहां विकलांग लोगों का, प्रतिशत सबसे कम है। जिन्हें एक तालिका में दर्शाया गया है।

भारत के 10 ऐसे राज्य, जहां विकलांग लोगों का प्रतिशत सबसे कम है।

क्र.	राज्य	कुल संख्या प्रतिशत में	ग्रामीण प्रतिशत में	शहरी प्रतिशत में
1.	मिजोरम	0.06%	0.05%	0.08%
2.	चंडीगढ़	0.06%	0%	0.18%
3.	सिक्किम	0.7%	0.09%	0.03%
4.	अरुणाचल प्रदेश	0.1%	0.12%	0.05%
5.	नगालैंड	0.11%	0.13%	0.22%
6.	गोवा	0.12%	0.08%	0.22%
7.	मेघालय	0.17%	0.2%	0.08%
8.	मणिपुर	0.22%	0.22%	0.22%
9.	त्रिपुरा	0.24%	0.24%	0.24%
10.	हिमाचल प्रदेश	0.58%	0.77%	0.15%

Source: -Census-2011.

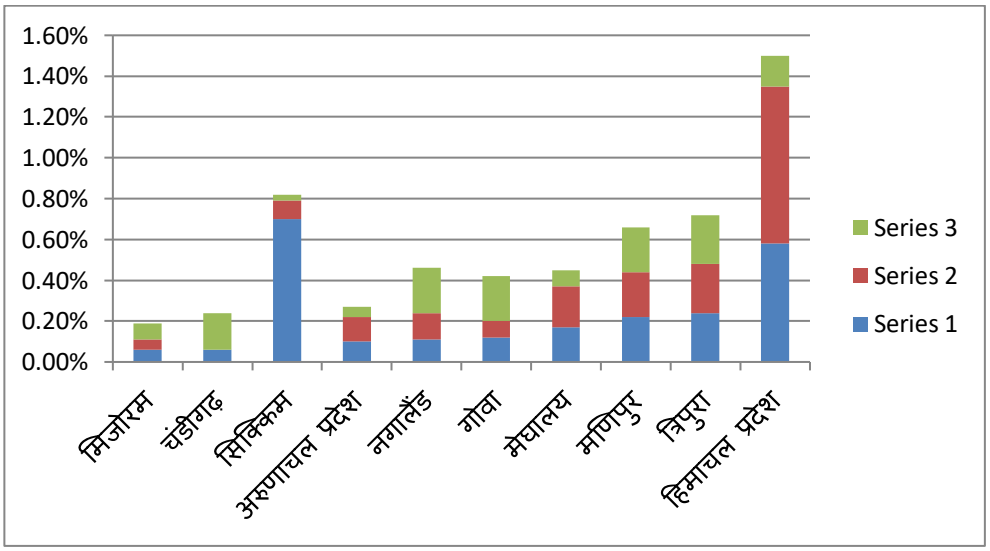

भारत में वर्ष 2011 की जनगणना में, जो दिन-प्रतिदिन विकलांग लोगों की संख्या बढ़ रही है, उसका कारण, विशेष रूप से, खराब स्वास्थ्य एवं पोषण बताया जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारे देश में अधिकांश लोग संतुलित भोजन प्राप्त करने में असमर्थ हैं, और दूसरा मुख्य कारण, हिंसक या नागरिक संघर्ष के, साथ-साथ, व्यापक पैमाने पर बुजुर्गों की बढ़ती हुई आबादी है। कुछ प्रमाण, ऐसे भी हैं, जो कम आयु से संबंधित है। अर्थात **विश्व स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट (2011) बताती है कि-** हमारे देश में लगभग 785 मिलियन लोग (15.6 प्रतिशत) ऐसे हैं, जिनकी उम्र 15 वर्ष या उससे अधिक है। विकलांगता से पीड़ित हैं।(22) इसी प्रकार **ग्लोबल बर्डन ऑफ़ डिजीज (2017) की रिपोर्ट बताती है कि-**भारतीय जनगणना वर्ष 2011 में, विकलांगताओं से संबंधित, बताए गए आंकड़े 2.2 प्रतिशत, एक प्रकार से बहुत ही गंभीर विकलांगता को दर्शाते हैं।(23) यह सब कथन एवं आंकड़े दिखाते हैं कि भारत में विकलांगताओं की क्या स्थिति है। हालांकि **भारत में वर्ष 2019 से 2021 के बीच, विकलांग लोगों की आबादी, घटकर 1% रह गई है।(24)** लेकिन यह एन.एच.ऍफ़.एस. के द्वारा दिए गए आंकड़े हैं, जिनमें काफी अंतर नजर आता है। अर्थात हमारे देश में विकलांग लोगों से संबंधित, आंकड़ों का, सही प्रकार से आकलन नहीं किया गया है। उपरोक्त विवरण के आधार पर, हम कह सकते हैं कि, यदि भारत सरकार को विकलांग लोगों को, समाज या देश की मुख्य धारा से जोड़ना है तो, उसे (सरकार) विकलांग लोगों की संख्या का उचित मूल्यांकन करना होगा और उनके अधिकारों एवं हितों को संरक्षित करना होगा। तभी हमारे देश में विकलांग लोगों की स्थिति में, सुधार संभव हो सकेगा।

भारत में विकलांग लोगों की समस्याएं

वास्तव में, किसी ने सच ही कहा है कि, मानव का, जीवन बहुत ही कठिन एवं संघर्षमय है। लेकिन, जब हम विकलांग लोगों की समस्याओं पर दृष्टि डालते हैं तो, उनका (विकलांगों) जीवन तो, सामान्य मानव आबादी से कहीं अधिक है। जिस प्रकार समाजवादी लोग विकलांगों को घृणा या तिरस्कार की नजर से देखते हैं तो, उसे ध्यान में रखते हुए तो, यही कहा जा सकता है कि, उन्हें (विकलांगों) समाज ने कभी-भी स्वीकार नहीं किया है।

हालांकि भारत में, स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से ही, विकलांगों की, स्थिति पर ध्यान दिया गया था। लेकिन फिर भी वे, कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्हें सामाजिक-आर्थिक से लेकर, राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है। शिक्षा, रोजगार एवं कई सरकारी योजनाएं, संचालित करने के, बावजूद विकलांग अपने अधिकारों से अभी-भी वंचित हैं। **एस.बी.विस्पुते (2021) ने, अपने पेपर में उल्लेख किया है कि-**भारत में सर्वाधिक विकलांग लोग, गरीब परिवार से हैं। इसीलिए वे शिक्षा, रोजगार एवं कई अन्य सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। गरीबों के कारण विकलांगों को, समाज में असहाय जीवन जीना पड़ता है और परिवार पर, पूर्ण रूप से निर्भर रहना पड़ता है।(25) ऐसी परिस्थितियों में विकलांगों को, बहुत लंबी समस्याओं, यहां तक की शारीरिक और मानसिक रूप से भी, विक्षिप्त रहना पड़ता है। **आर.पांडे तथा एम.के.चार्ली (2019) के अनुसार-**भारत में विकलांग लोगों की, सबसे बड़ी समस्या है। उन्हें आत्म सम्मान से लेकर, पहचान एवं विकास के अधिकारों से, वंचित रखा जाता है। विकलांगों के जीवन को, दुखमय चिकित्सा स्थितियों ने, नहीं बल्कि पर्यावरण द्वारा कठिन बनाया गया है।(26) इन व्यक्तियों के लिए, विकलांगता एक शत्रु बन गया है, क्योंकि इसकी वजह से ही विकलांग ना तो, अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों को पूर्ण कर पा रहे हैं और ना ही, वे सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में, अपनी मुख्य भूमिका अदा कर पा रहे हैं। यही कारण है कि वह समाज व देश की, मुख्य धारा से जुड़ने में असमर्थ हैं।

भारत में, विकलांग अनेक समस्याओं का, सामना कर रहे हैं, जिन्हें हम विभिन्न क्षेत्रों के, आधार पर, विभाजित करके, समस्या तथा समाधान, दोनों पर दृष्टि डाल कर समझने का प्रयास करेंगे।

(i) सामाजिक समस्याएं

जैसा कि हम जानते हैं, सामाजिक समस्याएं वे होती हैं, जो समाज या समाज में जीवन यापन करने वाले लोगों से संबंधित होते हैं। जैसे:-समाज में लोगों द्वारा विकलांगों का बहिष्कार करना, उन्हें घ्रणात्मक दृष्टि से देखना एवं व्यंगात्मक टीका-टिप्पणियां करना और विकलांग लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं आदि, ए.समस्याएं इतनी अधिक गंभीर है कि, उन्हें समाप्त करना, एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गई है।

के.विजयन, डॉ.शानिमोंस और आर.इन्दुराजनी (2020) ने अपने पेपर में उल्लेख किया है कि-भारत, एक ऐसा देश बन गया है कि, लगभग एक तिहाई परिवार किसी ना किसी विकलांगता से पीड़ित हैं। दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई संख्या, आबादी में वृद्धि और बुजुर्गों की बढ़ती हुई संख्या, के कारण, विकलांगता और उससे संबंधित राजनीतिक मुद्दे, गंभीर बन गए हैं।(27) हालांकि सन 1970 के दशक से ही, भारत सरकार ने विकलांग लोगों से संबंधित मुद्दों पर, ध्यान देना शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी यह समस्या आज भी बनी हुई है। विकलांग, आज भी, सामाजिक बहिष्कार व सामुदायिक भागीदारी से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा, एक ऐसा भी प्रमाण प्राप्त हुआ है कि, विश्व के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक दार्शनिकों व समाजशास्त्रीय, अर्थशास्त्री ने भी, अपनी रुचि उतनी नहीं दिखाई थी। जितनी की होनी चाहिए थी। **बी.अल्टमन (2001) के, अनुसार-**विश्व के विभिन्न दार्शनिकों ने, समाज की विकृतियां या पुरानी बीमारियों के बारे में, बहुत कम अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। इन मुद्दों पर दार्शनिकों की, रुचि पिछले 100 या उससे अधिक वर्षों तक, कभी-कभार ही देखने को प्राप्त हुई थी।(28) इस प्रकार दार्शनिकों की कम रुचि ने भी, विकलांग लोगों की, सामाजिक समस्याओं को, तीव्र गति से बढ़ाया था।

यदि हमें देश में जीवन यापन करने वाले विकलांगों की समस्याओं को समाप्त करके, देश की मुख्य धारा से जोड़ना है तो, हमें और सरकार को, विस्तृत दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा तथा रणनैतिक समाधान पर विचार विमर्श करना होगा। यहां रणनीतिक समाधान का मतलब है, भारत सरकार और उसमे बैठे हुए राजनेताओं को विकलांगों के लिए नई-नई नीतियां बनाना, कानून का गठन करना है। ताकि विकलांग लोगों की कुछ सामाजिक समस्याओं का समाधान हो सके। इसके अलावा, समाज में जीवन यापन करने वाले लोगों को भी, विकलांगों की समस्याओं को समझना होगा, जिससे कि, वह (विकलांगों पर) घ्रणात्मक टीका टिप्पणियां ना करें जैसा कि, हमारा संविधान सभी व्यक्तियों या मानवों को, फिर वह चाहे सामान्य व्यक्ति हो या फिर विकलांग, एक समान रूप से, जीवन यापन से लेकर विचरण करने, घूमने व अपनी बात करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। सभी को, इस संविधान का पालन करना चाहिए और विकलांगों के लिए सद्भावना व सहानुभूतिपूर्वक विचार रखना चाहिए।

(ii) विकलांगों की गणना संबंधी समस्याएं

वैसे, हम इस बात का जिक्र कई बार कर चुके हैं। कि भारतीय स्वत्रंता के बाद से ही, पहली जनगणना में विकलांगों की संख्या का अनुमान लगया गया था। परंतु जनगणना करने वाले विभिन्न विभाग, इनकी संख्या को अलग-अलग रूप में व्यक्त करते हैं। ऐसा क्यों?, क्या सरकार विकलांगों से संबंधित आंकड़ों को, छुपाना चाहती है या फिर और कुछ, इसका कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं है। विश्व के कुछ विद्वान एवं संगठन, यह कहते हैं कि भारत में विकलांग लोगों की संख्या का बोझ बढ़ रहा है। **जनगणना 2011 के जनरल सी चंद्रमौली (2011) कहते हैं कि-**भारतीय जनगणना 2001 में विकलांगों की संख्या 2.13% थी जोकि 2011 में, बढ़कर 2.21% हो गई थी।(29) जबकि **विश्व बैंक की, एक रिपोर्ट, यह कहती है कि-**भारत में 50 से 80 मिलियन से अधिक, आबादी विकलांग है।(30) आंकड़ों में यह भिन्नता, एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर देती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में, देश में, विकलांग लोग कितने हैं, का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है और जब आंकड़े, अपूर्ण या सही नहीं होंगे तो, उनके लिए (विकलांगों) नीतियों एवं कार्यक्रमों की रचना करना संभव नहीं होगा। इन आंकड़ों में अंतर के कारण, भारत सरकार को विकलांग लोगों के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित उपायों पर, काम करना मुश्किल हो जाता है।

भारत में, विकलांग लोगों की संख्या की समस्या से संबंधित, एक और प्रमाण मिलता है और वह है, **भारतीय जनगणना 2011 तथा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2018 का, 76वा दौर आदि। दरअसल जनगणना 2011 में, विकलांगता की, व्यापक परिभाषा शामिल की गई थी, जबकि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2018 में, दुर्लभ विकलांगताओं सहित, सभी विकलांगताओं को, शामिल किया गया था।(31)** इस परिभाषा संबंधी, अंतर के कारण भी, आंकड़ों का पर्याप्त होना, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करता है। कुछ संगठन, जिसमें विश्व बैंक शामिल है, का कहना है कि-विकलांग लोगों की अप्राप्त संख्या के कारण, देश के सकल घरेलू उत्पाद पर, प्रभाव पड़ सकता है। **विश्व बैंक के अनुसार-**भारत में विकलांग लोगों की संख्या में, अंतर की वजह से, सकल घरेलू उत्पाद पर 5 से 7% का प्रभाव पड़ सकता है।(32) अर्थात भारत के सकल घरेलू उत्पाद में, 5 से 7% की कमी हो सकती है। वास्तव में विकलांगों को, देश की आर्थिक गतिविधियों में, आंकड़ों में अंतर के कारण, शामिल न करना, देश

की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने से रोकना है। यदि हम, पर्याप्त संख्या का अनुमान लगाकर, आर्थिक गतिविधियों में, शामिल करते हैं तो, एक तरफ तो विकलांग लोगों की, निर्भरता कम हो जाएगी। अर्थात उनका जीवन-निर्वाह आसान हो जाएगा तो, दूसरी तरफ, अर्थव्यवस्था से लेकर उत्पादकता में वृद्धि, जी.डी.पी. तथा देश की आर्थिक विकास पर, आशाअतीत वृद्धि होगी। इसीलिए आवश्यकता है कि, देश के विकलांग लोगों की सटीक व सही संख्या की, गणना की जाए, ताकि उनका जीवन निर्वाह, आसान होने के, साथ-साथ देश का विकास संभव हो सके।

(iii) विकलांग लोगों के कानूनी अधिकार संबंधी समस्याएं

सर्वप्रथम, हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि कानूनी अधिकार क्या होते हैं?, सामान्य शब्दों में कानूनी अधिकार वे होते हैं, जिसके अंतर्गत विकलांग लोगों के अधिकारों एवं हितों को, सुरक्षित व संरक्षित हेतु, भारत सरकार के कानूनी दस्तावेजों तथा भारतीय संविधान में दर्ज हैं। इसका मतलब, यदि कोई सामान्य व्यक्ति, विकलांगों के अधिकारों या हितों को, आघात पहुंचता है तो, वह भारतीय संविधान या भारत सरकार के कानूनी दस्तावेजों के अनुसार, दंड या सजा का भागीदार होगा।

हालांकि भारत में, विभिन्न विद्वानों, नीति निर्माताओं और संविधान निर्माता ने, विकलांगों के लिए पर्याप्त कानून व प्रावधान निर्धारित किए हैं। इसके लिए भारतीय कानूनी निर्माता एवं संविधान निर्माता ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों व हितों का अध्ययन किया और समझा था, तब जाकर, उन्होंने मौलिक अधिकार प्रदान किए थे।(33) लेकिन, यह दुर्भाग्य है कि, अभी भी हमारे देश में विकलांग लोगों के साथ, शत्रुतापूर्ण व अमानवीय व्यवहार किया जाता है। इसके संबंध में मेरा कहना है कि, या तो विकलांग अशिक्षित हैं या फिर, उनमें जागरूकता की, कमी है। अधिकांश विकलांग तो, इस बीमारी को, भगवान की दैन समझ कर, सामान्य व्यक्तियों की घ्रणानात्म्क टिका-टिप्पणियों को सहन करते रहते हैं।

भारत में, विकलांग लोगों के लिए, जो कानूनी या संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, वह जैसे:-सामान्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, नौकरियों में सामान्य नियुक्तियो अधिकार, नौकरियों में आरक्षण का अधिकार आदि। भारतीय संविधान की धारा 14, विकलांगों को, समानता एवं समान संरक्षण का अधिकार देता है।

जबकि धारा 15.(4) विकलांगों को शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति या शिक्षा के संबंध में, विशेष प्रावधान प्रदान करता है। संविधान की धारा 16 (4) विकलांगों की नियुक्तियों के संबंध में, भेदभाव नहीं करेगा और धारा 21 के तहत, विकलांग लोगों के लिए आरक्षण के संबंध में स्वतंत्रता प्रदान करेगा। (34,35,36,37)

भारतीय संविधान में उनके (विकलांगों) के लिए यह सभी कानूनी प्रावधान के, बावजूद दिव्यांग सामाजिक-आर्थिक, राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। यदि हमें विकलांगों के प्रति सद्भावना व सहानुभूति बनाए रखना है तो, हमें विकलांगों का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा, यह सरकार का कर्तव्य है कि, सामान्य व्यक्ति और विकलांगों के बीच, जो दीवार है, उसे गिरना होगा। उनके अधिकारों व हितो को सुरक्षा प्रदान करते हुए, लाभ पहुंचाना होगा। भारतीय संविधान कहता है कि, सभी नागरिकों पर, फिर वह चाहे सामान्य हो या फिर विकलांग, एक समान रूप से सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। आपको बता दें कि, **सम्मान पूर्वक जीवन का मतलब, विकलांगों सहित, सभी को, एक समान रूप से कार्य करने से लेकर, शैक्षिक सुविधा, चिकित्सीय लाभ पहुंचे तथा सामथ्र्य है।(38)** हालांकि भारत सरकार और राज्य सरकार, हमारे देश में, विकलांगों की स्थिति को सुधारने के लिए, एक विभाग, **जिसका नाम दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है, जो न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत, कार्य करता है तथा विकलांगों की, दशा सुधारने के क्षेत्र में, राज्य एवं केंद्र स्तर के, अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के कार्य में संलग्न है, सफलतापूर्वक संचालित है।(39)** और देश में सक्रियता से कार्य कर रहा है, परंतु फिर भी, दिव्यांग लोगों की स्थिति में सुधार, उस गति से नहीं हुआ है, जिस गति से होना चाहिए या जिस तरह से, भारतीय अर्थव्यवस्था संपूर्ण विश्व में, पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से विख्यात है। इसके साथ ही, आप, हमें भी विकलांगों की स्थिति में, सुधार के लिए सोचना होगा। हमें, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, उनके असहाय जीवन या दुखों के बारे में विचार विमर्श करना होगा तथा उन्हें (विकलांगों) हमारे समाज व देश का, एक महत्वपूर्ण नागरिक स्वीकार करना होगा। तभी हमारे देश में विकलांगों की स्थिति में सुधार संभव हो सकता है।

भारत में विकलांगों के अधिकारों एवं हितों को, संरक्षण प्रदान करने के लिए कुछ कानून व अधिनियम बनाए गए हैं, जिन्हें एक तालिका में दर्शाया गया है।

भारत में विकलांगों के लिए पारित किए गए कुछ कानून व अधिनियम।

क्र.	कानून/अधिनियम	विवरण
1.	शिक्षा का अधिकार अधिनियम	यह विकलांगों के लिए शिक्षा से संबंधित अधिनियम है जिसमें जाति, धर्म, रंग या भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यह संविधान के अनुच्छेद 292 के अनुसार है।
2.	स्वास्थ्य कानून	यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 के अंतर्गत यह प्रावधान निर्धारित करता है कि विकलांगों के स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात सभी को विकलांग, एक समान रूप से चिकित्सा लाभ प्रदान किया जाएगा।
3.	पारिवारिक कानून।	यह अधिनियम, यह निर्धारण करता है कि, परिवार की रचना के लिए विवाह संबंधी कानून के संबंध में भेदभाव नहीं करेगा।
4.	विकलांग व्यक्तियों के उत्तराधिकार अधिनियम 1996 के तहत	यह अधिनियम विकलांग व्यक्तियों को परिवार की, चल-अचल संपत्ति में एक समान रूप से अधिकार प्रदान करता है।
5.	आयकर रियायत है।	भारत में विकलांग व्यक्तियों के लिए धारा 80 डीडी के तहत, उनके लिए चिकित्सा प्रावधानों में, आय की कटौती से संबंधित है।
6.	विकलांगों के लिए समान अवसर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1995	यह अधिनियम विकलांग लोगों के लिए अधिकार, व हितों के संबंध में, पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करता है। अर्थात शिक्षा, रोजगार, व्यावसायिक प्रशिक्षण अधिकारी का, प्रावधान रखना है।
7.	मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987	इस अधिनियम के अंतर्गत, विकलांग व्यक्ति, निशुल्क बीमारी के उपचार के संबंध में, सरकार से लेकर विभिन्न स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सालय,

क्र.	कानून/अधिनियम	विवरण
		उपचार करते हैं। अर्थात बिना शुल्क के, उपचार किया जाएगा।
8.	भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992	यह अधिनियम विकलांगों के लिए, आवास से संबंधित, रखरखाव की गारंटी प्रदान करता है। साथ ही पुनर्वास अर्थात उनके लिए, आवास की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

Source: Legal Rights of The Disabled in India.,

https://vikaspedia.in/education/parents-corner/guidelines-for-parents-of-children-with-disabilites/legal-rights-of-the-disabled-in-india#section2.

निष्कर्ष:

उपरोक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि, भारतीय समाज में जीवन यापन करने वाले, विकलांगों के प्रति, प्रत्येक भारतीय के दिल में, सम्मान व सहानभूति होना चाहिए, क्योंकि वह भी भारतीय जनगणना तथा देश का प्रमुख नागरिक है। जिस प्रकार, हम सामान्य व्यक्ति का सम्मान करते हैं, ठीक उसी प्रकार, विकलांगों का भी करना चाहिए। जहां तक, उनके अधिकारों का सवाल है। सभी को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि वह भी, (विकलांग) समाज व देश की मुख्य धारा से जुड़ सके।

भारत में, विकलांगों के लिए, सरकार से यह कहना है कि, उन्हें (विकलांगों) सम्मान व अधिकार प्रदान करने के लिए और नए-नए कानून व अधिकारों का गठन करना चाहिए और, एक ऐसा माहौल या वातावरण निर्मित करना चाहिए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति, उनका अपमान नहीं कर सके, क्योंकि इस प्रकार की टीका-टिप्पणियां ही, उन्हें सबसे अधिक तकलीफ पहुंचती है तथा उनके जीवन को और कष्टमय बनती हैं। परंतु इन सभी प्रावधानों के बावजूद, मेरे दिमाग में एक और समस्या आती है और वह, जीवन यापन की, दरअसल, मेरा कहना यह है कि, विकलांगों के जीवनयापन के लिए, विभिन्न शासकीय नौकरियों में, जो आरक्षण का प्रावधान रखा गया है, उन्हें शक्ति से लागू किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक शासकीय नौकरियों में

विकलांगों को, स्थान देना चाहिए, जिससे कि उनकी आर्थिक निर्भरता कम हो एवं वे आर्थिक रूप से, सुद्रण होने के साथ-साथ, आरामदायक जीवन यापन कर सकें।

Reference:

1. Disability and Health Overview: -Impairments, Activities Limitation and Participation Restrictions., https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilitiesandhealth/disability.html#:~:text=what%20is%20disablitiy%3F,around%20them%20(participation%20restriction).
2. Disability in India., Office of Chief Commissioner for Person with Disabilities., https://www.ccdisabilities.nic.in/resources/disability-india#:~:text=the%20infirmities%20inclubed%20insanity%2c%20deaf%2dmutenes%2c%20blindess%20and%20leprosy.andtext=in%20india%20out%20of%20the,2,21%25%20of%20the%20total%20pulation.
3. Vispute, S.B. (2021) The Problems of Differently-Abled Person in India and Remedies for The Empowerment of Their Rights., International Journal of Multidisciplinary Education Research., Vol.10, Issue-7 (11), 30 July 2021.
4. Mishra, Y. and Chakraborty (2020) Right to Accessibility and Movement of Disabled Person in Public Place Dignifiedly: -An Analysis of Legal Framework with Special Reference to Right of Person with Disability Act 2016., International Journal of Creative Research. Thoughts, Vol.8, Issue-4, April 2020.
5. World Health Organization, World Health Report on Disability 2011, Geneva, World Health Organization 2011.
6. An Abridged Nersion of This Paper Was Presented as A Key-Note Address at The National Conclave on Financial Inclusion of Person with Disability in India Organize By: -Society, For Disability and Rehabilitation Studies., New Delhi on May 24, 2017. The Author Would Like to Thank Rinusha Rajan for Excellent and Extensive Research Support for This Paper.
7. https://thediplomat.com/2016/12/the-history-of-india-disability-rights-movement., Jha (2016).
8. https://www.judis.nic.in/supremecourt/imgs1.aspx?filenams=40868. Supreme Court of India (2013).
9. https://english.aifo.it/disability/apdrj1apdrj203/ap-decade.pdf. Price and Takamine (2003)
10. To See the Reference Number (4).
11. To See the Reference Number (3).
12. The Rights of Person with Disability Act. 2016.
13. Definition of Disability: -Office of The State Commissioner for Person with Disability, Government of Meghalaya., https://megscpwd.gov.in/disability-def.html#:~:text=%22persons%20with%20disability%22%20means%20a,in%20society%20equally%20with%200theres.

14. To See the Reference Number (2).
15. To See the Reference Number (2).
16. To See the Reference Number (4).
17. To See the Reference Number (2).
18. To See the Reference Number (2).
19. Bhattacharya (2022) Inclusion of Differently-Abled People: -The Role of Training in Development of Human Resource., Manpower Journal, Vol.VI, Number 3 and 4 July-December 2022.
20. To See the Reference Number (4).
21. To See the Reference Number (2).
22. To See the Reference Number (4).
23. GBD (2017) The Global Burdon of Disease. (Global Burdon of Disease 2017, Disability Ability Weights/GHDX, n.d.).
24. The Gaps in Counting India Disabled Population. https://scroll.in/article/1028665/the-gaps-in-counting-india-disabled population., [22 July 2022].
25. To See the Reference Number (3).
26. Pandey, R. and Charles, M.K. (2019) A Critical Study of Legal Right of People with Disability: -Indian Scenario., International Journal of Research and Analytical Review., Vol.6, Issue-1, January-March 2019.
27. Vijanyan, K., Dr.Shanimons and Indurajani, R. (2020) Socio-Economic Condition of Differently-Abled Person in India., An Empirical Study Based On Secondary Data., International Journal of Scientific and Research Publication., Vol.10, Issue-11, November 2020.
28. IBID.
29. Chandramouli, C., General, R. Census of India 2011., Provisional Population Total, New Delhi, Government of India 2011:409-413.
30. O'Keefe P.B. People With Disabilities in India., From Commitment to Outcome: -The World Bank, Human Development Unit South Asia Region 2007,1 May, 1-186.
31. To See the Reference Number (24).
32. https://documents.worldbank.org/curated/en/278621468200671297/pdf/project oinform/nceptostage010,oct.18.pdf., National Foundation for Development of Disabled People (2009).
33. To See the Reference Number (26).
34. Article 14 of The Constitution of India.
35. Article 15 (4) of The Constitution of India.
36. Article 16 (4) of the Constitution of India.
37. Article 21 of the Constitution of India.
38. To See the Reference Number (26).
39. To See the Reference Number (19).